

2020/0014

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, झुंझुनू

रामरूप पुत्र कैलाशचन्द जाति गुर्जर, निवासी हमीरवास, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू
बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार, उप तहसील सिंघाना, जिला झुंझुनू।

मु.न. 50/2020

अपील

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8.09.2020	यह अपील एडवोकेट श्री शिव हरि प्रसाद द्वारा पेश करने पर बाद जांच पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। प्रस्तुत तलवाने पर रेस्पोंडेंट की तलवी जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 05.10.2020 को पेश हो।	
05.10.20	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज न्यायिक कार्य स्थगन रखा गया है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 22/10/20 को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर झुंझुनू	अति. जिला कलेक्टर, झुंझुनू
22/10/20	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज न्यायिक कार्य स्थगन रखा गया है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 11/11/20 को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर झुंझुनू	468 11.11.20
11.11.20	पत्रावली पेश हुई। विधान अधिवक्ता अपीलान्त उपस्थित। मिसल अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार उप तहसील वास्ते लिखा गया। पत्रावली वास्ते तलवी मिसल प्रस्तुत दिनांक 25.11.20 को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर झुंझुनू	
25.11.20	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज न्यायिक कार्य स्थगन रखा गया है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 10/12/20 को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर झुंझुनू	
10/12/20	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज न्यायिक कार्य स्थगन रखा गया है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 08/12/20 को पेश हो।	



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुकम की में जारी
13/1/23 2/2/23	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्त उप। पत्रावली वास्ते प्रिन्सिपल दिनांक 2/2/23 को पेश हो जाय ✓</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पेशानुसार उपस्थित। बी.ओ. साहब राजकार्य में क्वस्त। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 28/2/23 को पेश हो। रिज</p>	
28/2/23	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ द्वारा आज न्यायिक कार्य स्थगन रखा गया है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 27/3/23 को पेश हो।</p>	
27/3/23	<p>पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता अपीलान्त अनुपस्थित। तीन बार आवाज लगाई गई। अपीलान्त व उसके अधिवक्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से अपील अपीलान्त अदम ए।फरी एवं अदम धौखी में श्वरीय की जाती है। पत्रावली प्रिन्सिपल शिफार होकर दर्द नम्बर से कम हो तथा बाद तकरीब पाहल दायित्व क्षत्र हो जाय ✓</p>	